कार्यान्विति नहीं की गई है और लगभग 42 मांगों पर विचार-विमर्श तथा निर्णय किया जाना है। संघ ने यह आरोप भी लगाया है कि प्रबन्धकों ने संघ के एक उप-प्रधान का स्थगन कर दिया है और संघ के सरगर्म कार्यकर्ताओं को स्थानान्तरित कर दिया है।

(ग) हो रही विभागीय जांचों को शीघ्र पूरा करने और स्वीकृत मांगों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई व बिजली मंत्रालय की मध्यस्थता संबंधी सेवाएं प्रदान की गई। उपक्रम ने 28 मांगें स्वीकार कर ली हैं जिनमें 16 की कार्यान्विति हो चुकी है; इसमें अनुग्रहपूर्वक अदायगी, वेतन मानों का पुनरीक्षण, यात्रा भत्ता, उपरि समय की अदायगी, 830 वर्कचार्ज मजदूरों को नियमित मजदूर के पद पर लगाना इत्यादि शामिल हैं। बाकी मांगों पर दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम विचार कर रहा है। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण ये हैं—निवास स्थान का प्रबन्ध, प्रवक्ता सूचियों, भर्ती तथा उन्नति नियमों, उपदान तथा पेन्शन स्कीमों का प्रकाशन जिन 42 मागों पर विचार-विमर्श होना है, महाप्रबन्धक ने संघ से प्रार्थना की है कि वह इस विषय पर बातचीत करें। संघ के उप-प्रधान, जो कि जूनियर मिस्त्री है, के प्रति विभागीय जांच पूरी हो चुकी है। उन्हें सजा दी गई है और 5-10-67 से बहाल कर दिया गया है। प्रशासन ने दो कर्मकों को स्थानान्तरण से सम्बद्ध झगड़ों को दिल्ली के अतिरिक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास भेज दिया है और यह मामला न्यायाधिकरण के पास निर्णय के लिए पड़ा हुआ है।

SUPPLY OF BARRELS FOR INDIAN OIL CORPORATION

913. SHRI SITARAM KESRI :
SHRI SAMAR GUHA :
SHRI GEORGE FERNANDES :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Khaitan Brothers against whom allegations of evasion of tax have been made are connected with the firm of Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd. of Calcutta against whom charges of having supplied to the Indian Oil Corporation barrels fabricated out of Hot Rolled sheets as against Cold Rolled sheets and billed for those of Cold Rolled sheets and thus caused a loss of several lakhs of rupees to Government were made.

(b) whether Government have held any inquiry into the charges against the said firm and if so, the result thereof; and

(c) whether it is also a fact that the inquiry proceedings against the firm were abandoned and the capacity of the firm for the manufacture of 45 gallon oil barrels was recognised when the firm was on the banned list ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) and (b) M/s. Hind Galvanising and Engineering Company Private Limited who have Shri S. G. Khaitan and Shri G. N. Khaitan on their Board of Directors have supplied some barrels to the Indian Oil Corporation Limited. The purchase order stipulated that the barrels will be made out of Cold Rolled steel. It was, in fact, discovered that the supply made was of Hot Rolled steel barrels. As these barrels could also be used and were required, the supply made was accepted and the question of the price to be paid was referred to arbitration. According to the award, the price of the barrels is to be related to the cost of steel actually used by the fabricator. The Indian Oil Corporation are arranging to make payment according to the award, which results in a lower price than that originally accepted in the purchase order. There is, therefore, no question of any loss to the Indian Oil Corporation or need for any inquiry on this account.

(c) :— M/s. Hind Galvanising and Engineering Company Private Limited, Calcutta, who were already registered for the manufacture of small drums and heavy duty barrels, had been requesting permission to undertake the manufacture of oil barrels, for which they claimed they were equipped.

On verification, it was found that, with the existing machinery it would be possible for the company to manufacture oil barrels also. As these barrels were much in demand during 1963-64 for meeting Defence and oil refinery needs, it was decided to register this available manufacturing capacity, although this was an item in respect of which applications for new capacity are ordinarily to be rejected. Hind Galvanising & Engineering Company Private Limited is not on the banned list.

गांधी सागर बांध

915. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गांधी सागर बांध में कितना पानी जमा किया गया है और उससे कितनी बिजली तैयार की जा रही है;

(ख) क्या अब भी कारखानों को दी जाने वाली बिजली में कोई कटौती की गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) गांधी सागर जलाशय में 20 सितम्बर, 1967 को 1266.50 स्तर पर अधिकतम जल संचय 21.225 लाख एकड़ फुट था।

18 सितम्बर से 30 सितम्बर, 1967 तक वास्तविक औसतन विद्युत् उत्पादन 6.5 लाख यूनिट प्रतिदिन था और पहली अक्तूबर, 1967 से यह 7.22 लाख यूनिट प्रतिदिन था।

(ख) और (ग). मध्य प्रदेश में कारखानों बिजली की सप्लाई में कोई कटौती नहीं की गई है। राजस्थान में निम्नलिखित कटौती की गई है :—

1. चम्बल तथा भाखड़ा क्षेत्रों में 5 मैगावाट तक वाले बड़े उद्योग 35%
2. कोटा क्षेत्र में 5 मैगावाट से अधिक भार वाले बड़े उद्योग 60%

छोटे तथा मध्यम उद्योगों में कोई कटौती नहीं की गई सिवाए इसके कि वे 1964–65 में लागू की गई कटौतियों से पूर्व होने वाली औसतन खपत से अधिक बिजली खर्च नहीं कर सकते।

नवम्बर-दिसम्बर, 1967 में सतपुरा के 62.5 मैगावाट के पहले यूनिट के चालू होने के पश्चात् कटौती की स्थिति का अवलोकन किया जाएगा।

राजस्थान में पानी का जमा हो जाना

916. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल की बाढ़ों के कारण राजस्थान के बहुत से गांवों में अब भी पानी जमा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या सहायता दी है; और

(ग) इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं। अक्तूबर, 1967 के अन्त तक कुछ निम्नस्तरीय क्षेत्रों को छोड़ कर लगभग सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाढ़ का पानी निकाल दिया जा चुका था।

(ख) तथा (ग) : राज्य के विविध भागों में अगस्त के अन्तिम सप्ताह और सितम्बर के प्रथम सप्ताह में भारी वर्षापात होने के कारण भरतपुर, अलवर और पाली के जिलों में भयंकर बाढ़ें आईं। भरतपुर जिले में वर्तमान निकास प्रणाली बाढ़ के पानी का मुकाबला न कर सकीं जिसके परिणामस्वरूप बहुत व्यापक क्षेत्र काफी देर तक जल-मग्न रहे। मैंने भरतपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया था और राज्य के सिंचाई व बिजली मंत्री और केंद्रीय तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत भी की थी कि